न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **09/2017** अपील (भू राजस्व)

श्री अभयसिंह पिता भॅवरसिंह राजपूत, निवासी गॉव भोपतखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलान्ट**

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मावली
दिनांक 02.01.2017 प्रकरण संख्या 10/2016 विविध

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— .....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का बोयणा द्वारा एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई कि ग्राम भोपतखेड़ी पटवारी हल्का बोयणा, तहसील मावली की आराजी संख्या 85, 328, 329 के आंशिक भाग पर अपीलान्ट द्वारा 20×20 कुल 400 वर्गफिट की दुकान का निर्माण कर रहा है, यह निर्माण प्राकृतिक नाले के अन्दर किया जा रहा है जिससे वर्षाकाल में पानी की निकासी का रास्ता बन्द हो जायेगा। अतः यह प्रकरण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना विधिवत सुने ही मौजा भोपतखेड़ी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, की आराजी नम्बर 85, 328, 329 के आंशिक भाग 20×20 कुल 400 वर्गफिट भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्री को जब्त सरकार कर निलाम करने के आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट राजस्व ग्राम भोपतखेड़ी के आराजी नम्बर 328 का रिकार्डेड खातेदार है तथा अपीलान्ट ने कृषि भूमि

से हुई फसल व खाद तथा बीज व कृषि औजारो को सुरक्षित रखने के लिये व पशु बांधने तथा अन्य कृषि कार्य हेतु निर्माण किया है जो उक्त कृषि भूमि की सूधार की परिभाषा में आता है तथा उक्त निर्माण अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 328 में ही किया अन्य आराजी संख्या 85 व 329 पर नहीं किया है जिसकी अधिनस्थ न्यायालय ने सही जॉच नहीं की है तथा सरसरी कार्यवाही कर उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्माण प्राकृतिक नाले के अन्दर नहीं किया गया है जिसकी जॉच भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई मात्र अपीलान्ट के विरोधी व्यक्तियों ने पटवारी से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट करवायी है जिसके आधार पर कार्यवाही की गई व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना साक्ष्य लिये पटवारी रिपोर्ट का बिना परीक्षण व जॉच करवाये मात्र एक पक्ष को सुनकर जो कार्यवाही की है जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर कहा कि तुम्हे आने की जरूरत नहीं है मैं मुकदमा लड लूंगा। दिनांक 20.02.2017 को ग्राम पंचायत से पता चला कि उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश हो चुका है तो अपीलान्ट ने तुरन्त दिनांक 20.02.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में सम्पर्क किया तो पता चला कि आदेश उनके खिलाफ हो चुका है फिर दिनांक 21.02.2017 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उदयपुर आकर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर कोई देरी नहीं की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया

कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। निर्णय पारित करने में विधिक प्रावधानो का अवलोकन नहीं किया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट आराजी संख्या 328 का रेकार्डेड खातेदार हैं। कृषि भूमि से हुई फसल व खाद तथा बीज व कृषि औजारो को सुरक्षित रखने के लिये पशु बांधने के लिये निर्माण किया गया। जो कृषि भूमि की सुधार की परीभाषा में आता हैं। निर्माण कार्य आराजी संख्या 328 में ही किया गया। अन्य आराजी संख्या 85 व 329 पर निर्माण कार्य नहीं किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच करवाये ही पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मनमकसुद तरीके से आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित करें कि वह स्वयं मौके की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही करें एवं निर्माण कार्य को कृषि भूमि कि सुधार की परीभाषा में माना जाकर निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश को निरस्त करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 09.01.17 कानुन सम्मत हैं। अपीलार्थी द्वारा मौजा बोयणा की आराजी संख्या 328, 329 एवं 85 में संयुक्त रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया हैं। उक्त निर्माण कार्य अवैध रूप से दुकान परपज किया गया हैं। जो किसी भी रूप में कृषि भूमि सुधार की परिभाषा में नहीं आता हैं। अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है उसमें से आराजी संख्या 329 किस्म सड़क हैं। आराजी संख्या 85 गैर काबिल काश्त हैं एवं आराजी संख्या 328 खाते होकर किस्म बंजड़ खड्डा व नाड़ा है जिसमें किसी भी तरह का स्थायी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता हैं। स्थायी निर्माण कार्य किये जाने पर स्थायी रूप से प्राकृतिक रूप से बहने वाले पानी को अवरूद्ध कर दिया जाता हैं। पानी कि निकासी का रास्ता बन्द हो जाता

हैं। अतः किया गया निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के जो आदेश दिये गये है वे न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो में यह तथ्य अंकित किये है कि मुझे बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया हैं। इस संबंध में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को विधिवत नोटिस दिया जाकर नोटिस की तामिल करवाने के बाद अधिवक्ता अपीलार्थी को सुनने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की गई हैं। अपीलार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलार्थी आराजी संख्या 328 का रेकार्डेड खातेदार हैं तथा अपीलान्ट ने कृषि भूमि से हुई फसल, खाद, बीज एवं कृषि औजारो को रखने हेतु यह निर्माण किया है जो भुमि सुधार की परिभाषा में आता हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वह मौजा भोपत खेड़ी की आराजी संख्या 85, 328, 329 के आंशिक भाग पर किया जाकर 20×20 फीट की दुकान का निर्माण किया जा रहा हैं। किया जा रहा निर्माण प्राकृतिक नाले के अन्दर किया जाकर वर्षा के पानी कि निकासी के रास्ते को बन्द किये जाने की कोशिश की जा रही हैं। जबकि आराजी नम्बर 329 व 85 किस्म सड़क हैं। जो अपीलार्थी के खाते की भूमि नहीं हैं। जो बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थी को किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं हैं। आराजी संख्या 328 भी संयुक्त खातेदारो के नाम दर्ज होकर आराजी में रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खड्डा व नाड़ा है जिस पर भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता हैं। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का बोयणा की रिपोर्ट दिनांक 17.10.16 में पटवारी द्वारा तहसीलदार मावली को निवेदन किया है कि प्रार्थी को कार्य बन्द करने के निर्देश के बावजुद कार्य जारी रखा हुआ हैं। राजकीय अवकाश व रात्री के समय कार्य करवाता हैं। उससे भी स्पष्ट जाहीर होता है

कि अपीलार्थी को कानुन का कोई भय नहीं हैं। उसके द्वारा कानुन की पालना भी नहीं की जा रही हैं।

अपीलार्थी द्वारा किया गया निर्माण कार्य गलत होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार सही हैं।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 10/16 यह निर्णय दिनांक 09.01.17 कानुन सम्मत होकर दिया गया आदेश विधिवत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर